संख्याः 01 / 2022–2730 / 58–2021–60 / 2006

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निदेशक कैम्प
1715(जी)
दिनांक 31-01-22
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ० प्र०, लखनऊ

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक : 28 जनवरी,2022**

विषय : अपर मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2021 को सम्पन्न उप-समिति की द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन के अंतर्गत नवीन निर्माता फर्मों के पंजीकरण, अतिरिक्त कम्पोनेन्ट सम्मिलित करने/पंजीकरण निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-298/एम.आई.-45/टी0सी0/2021-22 दिनांक 24.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्माता फर्मों के पंजीकरण के लिये प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी अप्रेजल के आधार पर निर्धारित बी.आई.एस. मानकों एवं अन्य शर्तो को पूर्ण करने वाली 05 निर्माता फर्मो को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना/आपूर्ति हेतु 05 वर्ष के लिये पंजीकरण किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है जिसका भारत सरकार के आपरेशनल गाइड-लाइन 2021 के प्रस्तर-14 में निहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या -15/2017-1843/58-2017-429/2015 उद्यान अनुभाग दिनांक 12.07.2017 के अनुसार स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर पंजीकरण हेतु उप-समिति द्वारा अनुमोदन निम्नानुसार प्रदान किया गयाः-

क्र.सं.	नवीन निर्माता फर्म का नाम	पंजीकरण हेतु कम्पोनेन्ट
1	मेसर्स श्री सालासर इंडस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान	ऑन लाइन ड्रिप, इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
2	मेसर्स अनंत इरीगेशन, खण्डवा, मध्य प्रदेश।	ऑन लाइन ड्रिप, इनलाइन ड्रिप, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
3	मेसर्स ट्रू वैल्यू इरीगेशन सिस्टम, जूनागढ़, गुजरात।	इनलाइन ड्रिप, मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर
4	मेसर्स जय पुष्पा इण्डस्ट्रीज, आगरा, उ.प्र.।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
5	मेसर्स ग्रीन इंडिया इण्डस्ट्रीज, देवास, मध्य प्रदेश।	आनलाइन ड्रिप, इनलाइन ड्रिप, मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर

2:<u>पूर्व में पंजीकृत निर्माता फर्म के अतिरिक्त कम्पोनेन्ट सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन</u>

माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अंगीकरण हेतु निर्माता फर्म मेसर्स मोहित इंडिया, भिवाड़ी, राजस्थान का पंजीकरण शासनादेश संख्या-2907/58-2017-60/2006 दिनांक 04.10.2017 द्वारा पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट एवं शासनादेश संख्या 37/2018-1467/58-

नौ० अ० (माइक्रो)
31-01-2022
प्रभारी माइक्रो
01/2/22

2018-60/2006 दिनांक 11.06.2018 द्वारा लार्ज वाल्यूम (रेनगन) के लिये 05 वर्ष की अवधि हेतु पूर्व में पंजीकरण किया गया है। निर्माता फर्म ने अतिरिक्त कम्पोनेन्ट ''इनलाइन ड्रिप'' सम्मिलित किये जाने हेतु स्वयं के बी.आई.एस IS 13488 प्रस्तुत किये गये हैं, जिस पर उप-समिति द्वारा विचार कर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया जो निर्माता फर्म की पंजीकरण अवधि तक के लिए मान्य होगी:-

निर्माता फर्म	पंजीकरण तिथि	पंजीकृत कम्पोनेन्ट	अतिरिक्त कम्पोनेन्ट	
मे. मोहित इंडिया, भिवाड़ी, राजस्थान	04.10.2017/ 11.06.2018	पोर्टेबल/मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट/लार्ज वाल्यूम (रेनगन)	इन लाइन ड्रिप	IS 13488

3:पूर्व में पंजीकृत निर्माता फर्म का पंजीकरण निरस्त करने का अनुमोदन

मे. कीपसेक इण्डस्ट्रीज प्रा.लि, छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश का पंजीकरण शासनादेश संख्या 37/2018-1467/58-2018-60/2006 दिनांक 11.06.2018 को इनलाइन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के लिए 05 वर्ष की अवधि हेतु किया गया है। निर्माता फर्म के फर्म का रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए बैंक गारण्टी वापस करने हेतु आवेदन के क्रम में तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर पंजीकृत फर्म मे. कीपसेक इण्डस्ट्रीज प्रा.लि, छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश का पंजीकरण निरस्त करते हुए की बैंक गारण्टी वापस करने के संबंध में संबंधित फर्म के विरूद्ध कोई विपरीत तथ्य/शिकायत नहीं है, फलतः उप-समिति को पंजीकरण निरस्त करते हुए बैंक गारण्टी वापस किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. उल्लिखित फर्मो का पंजीकरण एवं अतिरिक्त कम्पोनेंट 05 वर्षों के लिए सम्मिलित करने, पूर्व पंजीकृत निर्माता फर्म के पंजीकरण निरस्त करने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माता फर्म मैनुफैक्चरर्स हो, ट्रेडर्स नहीं।

5. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा जारी माइक्रोइरीगेशन दिशा-निर्देश में उल्लिखित सभी पहलुओं को निर्माता फर्मे सुनिश्चित करती है। उक्त फर्मो से वांछित सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का होगा।

6. उक्त फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। इन फर्मों द्वारा सम्पादित कार्य एवं गुणवत्ता संतोषजनक न पाये जाने पर पंजीकरण किसी भी समय समाप्त कर दिया जायेगा।

7. उक्त फर्मों का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा संचालित माइक्रोइरीगेशन योजना के नियमों/दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

8. यदि फर्मो के चयन में कोई प्रतिकूल तथ्य आते हैं तो उसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरदायी होंगे।

9. निदेशक, उद्यान यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त फर्मों का पंजीकरण एवं अतिरिक्त कम्पोनेंट सम्मिलित करने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)

विशेष सचिव

संख्या–01/2022–2730(1)/58–2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– कृषि अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश
उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ -226001

पत्रांक : 341 /MI-14D/PMKSY/2021-22 दिनांक : 02 फरवरी, 2022

प्रतिलिपिः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोईरीगेशन) के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माता फर्मों से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश सं. 01/2022-2730/58-2021-60/2006 दिनांक 28.01.2022 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (आर.एफ.एस.) भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक, एन.सी.पी.ए.एच., 10वीं मंजिल इण्टरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति, पी.एम.के.एस.वाई. उत्तर प्रदेश।
8. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, पी.एम.के.एस.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
10. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग, 17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. प्रधान वैज्ञानिक, पी.एफ.डी.सी., केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ।
13. संयुक्त निदेशक/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती/सहारनपुर/मलिहाबाद (लखनऊ)/खुशरूबाग (इलाहाबाद) एवं बरूआसागर (झाँसी)।
14. समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16. सम्बन्धित 5 नवीन पंजीकृत निर्माता फर्मो को इस निर्देश से प्रेषित कि निर्धारित शर्तो के अनुसार (i) **"निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश लखनऊ"** के **पक्ष में धनराशि रू0 2.00 लाख (रूपया दो लाख मात्र) की बैंक गारण्टी, जो 5 वर्षो हेतु वैध हो,** राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से रू0 100/- के जनरल स्टाम्प पेपर पर, (ii) स्वयं मूल्य प्रणाली के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के विभिन्न घटकों की घटकवार दरें निर्धारित प्रारूप पर एवं (iii) योजनान्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों के ऑथेंटिकेशन हेतु निर्माता फर्म के अधिकृत प्राधिकारी का विवरण संलग्न प्रारूप पर ईमेल nmmiup@gmail.com दिनांक 10.02.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि फर्मो के पोर्टल पर अपडेशन की कार्यवाही की जा सके।
17. वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी, आई.टी सेल, उद्यान भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार फर्मो का पोर्टल पर अपडेशन कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(आर.के. तोमर)
निदेशक